



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28072021-228522
CG-DL-E-28072021-228522

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2756]

No. 2756]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 27, 2021/श्रावण 5, 1943

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 27, 2021/SRAVANA 5, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2021

का.आ. 2962(अ).—केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि एलपीजी परिवहन के लिए हिन्दूस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा हासन (कर्नाटक) से चेरलापल्ली (तेलंगाना) पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी चल्लकेरे तालूक चित्रदुर्ग जिला कर्नाटक राज्य में बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में जो इस से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है और जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है उपयोग के अधिकारका अर्जन किया जाए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितवाद्दा है, उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियो साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्कीस दिन के भीतर भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी और विशेषा भूमि आधिग्रहण अधिकारी, हासन-चेरलापल्ली पाइपलाइन परियोजना, हिन्दूस्तान पेट्रोलियम को कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत सरकार का

उपक्रम, नं.-520, मुक्या रास्ता नं.-2, नया के हेच बि लेआउट, नया बस स्टेंड के सामने हासन- 573201, कर्नाटक को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

तालुक :चल्लकेरे		जिला :चित्रदुर्ग	राज्य :कर्नाटक	
क्रमांक	गाँव का नाम	सर्वे नं	क्षेत्रफल	
			एकड़	गुंटा
1	2	3	4	5
1	1.क्यादिगुंटे	54/1	00	04
2		50	00	02
3		185	00	38
4		46/3	00	02
5		46/1	00	02
6		35/1	00	02
7		46/5	00	06

[आर-12030(27)/2/2019-ओआर-1/ई-30930]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22th July, 2021

S.O. 2962(E).—Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of LPG, Hassan (Karnataka) to Cherlapalli (Telangana) Pipeline should be laid by Hindustan Petroleum Corporation Limited.

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in the land under which the said pipeline is proposed to be laid at Challakere, Taluk, Chitradurga District in Karnataka State, which is described in the Schedule annexed to this notification.

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said schedule may, within twenty one days from the date on which the copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land to The Competent Authority & SLAO, Hassan-Cherlapalli LPG Pipeline Project, Hindustan Petroleum Corporation Limited, Government of India Enterprises, No 520, 2nd Main Road, New K H B Layout, Opposite New Bus stand, Hassan - 573 201, Karnataka.

Schedule

Taluk : Challakere		District : Chitradurga	State : Karnataka	
Sl. No.	Name of Village	Survey No.	Area	
			Acres	Guntas
1	2	3	4	5
1	1.Kyadigunte	54/1	00	04
2		50	00	02
3		185	00	38
4		46/3	00	02
5		46/1	00	02
6		35/1	00	02
7		46/5	00	06

[F. No. 12030(27)/2/2019-OR-I/E-30930]

P.SOMAKUMAR Under Secy.